

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी- विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
37 / 2023

दायर दिनांक
01.02.2023

निर्णय दिनांक
27.07.2023

अनवान

1. धन्ना पुत्र प्रताप कुमावत,
2. भैरू पुत्र प्रताप कुमावत,
निवासीगण फामरिया खेड़ा (कुमारिया खेड़ा), तहसील व जिला भीलवाड़ा
प्रार्थीगण

बनाम

1. सोहन पुत्र गणेश कुमावत जाति कुमावत,
2. तुलसीराम पुत्र गणेश कुमावत जाति कुमावत,
3. हीरा पुत्र देबी कुमावत जाति कुमावत,
4. नंदू पुत्री देबी कुमावत जाति कुमावत,
5. प्रेम पत्नी शंकर लाल खारोल, जाति खारोल,
6. अमरी पत्नी स्व० श्री नाराण जाति कुमावत,
7. गणेश पुत्र कालू जाति कुमावत,
8. नारायणी उर्फ नाराणी पत्नी स्व० श्री देबी जाति कुमावत,
9. सुखी उर्फ रामकन्या पुत्री देबी कुमावत जाति कुमावत
निवासीगण कुमारिया खेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील व जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :- अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत - प्रार्थीगण
एक तरफा- अप्रार्थीगण

--: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-

--: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम बोरड़ा, पटवार हल्का गटिलाखेड़ा, भू.अ.नि. क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2071-2074 के नये खाता संख्या 195 की अभिलिखित आराजी संख्या 784 रकबा 0.1897 है० बंजड़, आराजी सं. 787 रकबा 0.5690 है० कुल किता 02 कुल रकबा 0.7587 है० कृषि भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है, जिसमें अप्रार्थीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात का सीमाचिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।



इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 27.07.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तादुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैर बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने की अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम बोरड़ा, पटवार हल्का गठिलाखेड़ा, भूअ.नि. क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 के नये खाता संख्या 195 की अभिलिखित आराजी संख्या 784 रकबा 0.1897 है 0 बंजड़, आराजी सं. 787 रकबा 0.5690 है 0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.7587 है 0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा